न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–37 / 2024 — दायर दिनांक– 28.10.2024
GCMS NO:- 2024/270 — पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

इसरार मोहम्मद आ0 यासीन मोहम्मद जाति मुसलमान नि0 नैनवॉ वगै0 (कुल 5)।

प्रार्थीगण

बनाम

भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र नागर।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नैनवॉ प्रथम मे खसरा नम्बर 6325 / 4454 रकबा 0.8090 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज काश्त होकर कृषि काश्त करते चले आ रहे है। यह कि उक्त भूमि की तरमीम ऑनलाईन करते वक्त संह्वन से लिपिकिय त्रुटी के कारण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि के स्थान पर भूमि खसरा नम्बर 6326 / 4454 की तरमीम गलत दर्ज कर दी गयी जबकि उक्त भूमि खसरा नम्बर 6326 / 4454 की तरमीम पूर्व मे ही अपने स्थान पर दर्ज थीत था उक्त खसरा नम्बर के खातेदार भी अपनी भूमि पर खेती काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि की तरमीम को प्रार्थना पत्र के साथ परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से प्रदर्शित स्थान पर अन्य खसरा नम्बर की गलत तरमीम दर्ज होने के बाद प्रार्थीगण को जब उक्त तथ्य की जानकारी मिली तो प्रार्थीगण ने राजस्व अधिकारियों को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि की तरमीम सही करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किये व मौखिक निवेदन किया लेकिन उसके उपरान्त भी तरमीम दुरूस्त नही की गयी जिससे प्रार्थीगण को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। यह कि प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि के स्थान पर संह्वन से गलत रूप से दर्ज की गयी भूमि खसरा नम्बर 6326 / 4454 की तरमीम को निरस्त करवाकर वास्तविक व भौतिक कब्जे के आधार पर दुरूस्त करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार नैनवॉ के पत्रांक / भू0अ0 / 25 / 1904 दिनांक 05.5.2025 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवॉ के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम नैनवॉ प्रथम के आराजी खसरा नम्बर 6326 / 4454 रकबा 0.8090 हैक्टयर की भूमि जमाबन्दी के खाता संख्या 907 मे यासीन पुत्र ईद खां हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सा0 देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा खसरा नम्बर 6325 / 4454 रकबा 0.8090 हैक्टयर किस्म बंजड की भूमि जमाबन्दी के खाता संख्या 908 मे इसरार मोहम्मद, जलालुद्दीन, जायदा बेगम, निसार अहमद, फिरोज बानों के नाम संयुक्त रूप से गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर आराजी खसरा नम्बर 6325 / 4454 रकबा 0.8090 हैक्टयर की भूमि पर रिकॉर्ड मे दर्ज उक्त सह गैरखातेदारों का कब्जा नही है।

पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों व तहसीलदार रिपोर्ट का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया प्रार्थीगण द्वारा जिस खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6325 / 4454 की भूमि की तरमीम दुरूस्त करवाना चाहते है, पर सभी गैरखातेदारी होने तथा उक्त भूमि पर सभी गैरखातेदारान का कब्जा नही होने से तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत नही है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवा